उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या-क0नि0-2-1490/ग्यारह-9(168)/16-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(168)-2016
लखनऊ: दिनांक:: 20 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) की धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1439/ग्यारह-9(13)/2010-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(64)-2010 दिनांक 03 नवम्बर, 2010 एवं अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1422/ग्यारह-9(125)/09-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(145)-2015 दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 को विखण्डित करते हुये निदेश देते हैं कि दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 से नीचे सारिणी के स्तम्भ संख्या 3 में उल्लिखित मूल्य के, स्तम्भ संख्या 2 में उल्लिखित माल के परिवहन के दौरान, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 40 के अधीन विहित प्रपत्र इक्कीस में परिवहन मेमो जारी की जाएगी और साथ में रखी जाएगी :

क्रमांक	माल का नाम	माल का मूल्य
1	2	3
1.	मैन्थाआयल/डी-मैन्थलाइज्ड आयल(डीएमओ)/मैन्थाल	रूपये पचास हजार अथवा इससे अधिक
2.	सुपारी	रूपये एक लाख अथवा इससे अधिक
3.	आयरन एण्ड स्टील	रूपये एक लाख अथवा इससे अधिक
4.	खाद्य तेल	रूपये एक लाख अथवा इससे अधिक

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।